13-12-17 वकील उभयपक्ष उप० है वास्ते बहस पत्रा० दि० 9-1-18 को पेश हो

9-1-18 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 10-1-18 को पेश हो।

10-1-18 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष
उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
~~अधिकारी भ्रमण पर/अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-1-18
को पेश हो।

रीडर

17-1-18 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस पत्रावली दि० 22-1-18 को पेश हो

22-1-18 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी T. I. प्रा० पत्र पर बहस हेतु समय चाहते है। बहस हेतु इन्हें अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस T. I. प्रा०पत्र पत्रावली दि० 23-1-18 को पेश हो।

23-1-18 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31-1-18 को पेश हो।

31-1-18 वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 वादग्रस्त भूमि ख० नं० $\frac{614}{1.55}$, ग्राम हबीबपुर में केसरया के $\frac{1}{3}$ हिस्से की भूमि को ताफैसला दावा रहन, बय, या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरित नहीं करेंगे, कोई निर्माण नहीं करेंगे तथा भूमि की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

वास्ते बहस

वास्ते बहस हो

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

प्रकरण नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
118/2015	2.9.2015	31.1.2018

केसरया पुत्र रामचन्द्र, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. गूजरमल पुत्र नारायण, गुर्जर नि0 हबीबपुर, नाथों के पास तह0 गंगापुर
2. रामनिवास पुत्र घूडया, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामजीलाल पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. नवलकिशोर पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. सुगनलाल पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री प्रेम प्रकाश जोशी , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर में स्थित है। इसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारान अपना अपना हिस्सा बांटकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी के दक्षिण की तरफ के 1/3 हिस्से पर प्रार्थी की सरसब्ज खडी फसल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रार्थी नं0 1 लगायत 5 ने प्रार्थी के हिस्से की भूमि में मवेशियां छोड दिए । प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा यह खेत हमारा है। इस जमीन के तुम 90—92 हजार रूपए लो और इस जमीन की ओर देखनेकी कोशिश मत करना। अप्रार्थीगण प्रार्थी के 1/3 हिस्से को हडपने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा स्थाई व्यादेश से पाबंद फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद फरमाया जावे कि वह इस दरमियान किसी भी प्रकार का पंजीयन प्रार्थी के अलावा किसी के पक्ष में नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बाबू लाल जाट
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज0)

अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 6.5.02 अप्रार्थी संख्या 1 को रू0 1980000/– में विक्रय कर अप्रार्थी सं0 1 से नगर राशि प्राप्त कर भूमि का मौके पर कब्जा अप्रार्थी सं0 1 को संभला दिया तभी से केसरया के 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने ही इस साल सुग्रीव गुर्जर निवासी हबीबपुर के ट्रेक्टर से ग्वार की फसल काश्त कराई थी जो पककर तैयार खडी हुई है। अप्रार्थी नं0 2 ता 5 ने बाजरे की फसल बोई थी जो उन्होने काट ली है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 लगायत 5 ने मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा था । प्रार्थी ने विवादित भूमि से उत्तर दिशा की ओर अपना 1/3 हिस्से को अप्रार्थी को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया तभी से अप्रार्थी का प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने 1.8.15 की घटना भी गलत दर्ज की है। प्रार्थी का 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं है एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में केसरया का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसे केसरया ने गूजरया पुत्र नारायण गुजर को विक्रय कर स्टाम्प पर लिखा पढी कर दी है एवं भूमि का कब्जा भी उसे संभला दिया है। यह धारा 42 टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन है इसलिए अप्रार्थी ने भूमि को सिवायचक दर्ज किए जाने हेतु धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो लम्बित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 पेश की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 ने फोटोकोपी विक्रयपत्र दि0 6.5.02, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057 पेश की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 614 रकबा 1.55 है0 में प्रार्थी केसरया का 1/3 हिस्सा, रामनिवास का 1/3 हिस्सा व रामजीलाल, नवलकिशोर, सुगनलाल का 1/3 हिस्सा है। दिनांक 1.8.15 को

बाबू लाल जाट
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे कास्त में बाधा उत्पन्न की इसलिए अप्रार्थीगण की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी दि0 6.5.02 को अप्रार्थी को बेचान कर विक्रय राशि प्राप्त कर चुका है एवं भूमि पर कब्जा अप्रार्थी को संभला चुका है। अब भूमि पर प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। प्रार्थी ने धारा 183 बी टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां पेश किया था । चूंकि प्रार्थी द्वारा किया गया बेचान धारा 42 बी टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन है जिसके लिए तहसीलदार ने धारा 175 टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है इसलिए अन्य कार्यवाही स्थगित रहेगी। कब्जे के अभाव में टी0आई0 प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः इसे खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से विदित है कि वर्तमान ख0नं0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, रामनिवास पुत्र घूडया का 1/3 हिस्सा एवं रामजीलाल, नवलकिशोर, सुगनलाल पिता रामभरोसी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 6.5.02 के अनुसार प्रार्थी ने अपना 1/3 हिस्सा अप्रार्थी गूजरया को बेचान कर भूमि पर कब्जा संभला दिया है। भूमि पर कब्जा वापिस प्राप्त करने के लिए प्रार्थी केसरया ने धारा 183 बी टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया जिसमें तहसीलदार गंगापुर सिटी ने मामले में धारा 42 बी टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन मानकर धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। इस प्रकार विदित है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

चूंकि तहसीलदार गंगापुर सिटी ने वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के लिए धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया हुआ है, भूमि अभी तक प्रार्थी केसरया की खातेदारी में दर्ज है एवं विक्रय पत्र दिनांक 6.5.02 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी गूजरमल का कब्जा है ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य मुकदमों की बहुलता नहीं हो, हम भूमि को रहन,वय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरित नहीं करने हेतु व भूमि की मौका, रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थी

बाबू लाल जाट
राज. जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रति 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि खा0नं0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर में केसरया के 1/3 हिस्से की भूमि को ताफैसला दावा रहन, वय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरित नहीं करेंगे, कोई निर्माण नहीं करेंगे तथा भूमि की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखेंगे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
गंगापुर सिटी (स0मा0)